न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

शिवहोवर आदि बनाम राजकुमार आदि

किस्म मुकदमा दावा मु.नं. 162 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
13/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक: मु.नं./2025/353 दिनांक 13/10/25 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी। उक्त का अवलोकन कर वकील वादीगण के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/10/25 को पेश हो।
15/10/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वकील वादीगण का पत्र तहसीलदार सीकर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाकर अंतिम व डिक्री मुताबिक जारी करवाना उचित। आदेश पारित किया गया। पत्रावली कैफियत खत्म होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला-सीकर (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर– 162/2025

01. शिवशंकर पुत्र रामदेवसिंह जाति जाट निवासी नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर
02. विश्वनाथ शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी लसाड़िया का बास, वार्ड सं. 18 जोगियों का कुआ, सीकर तहसील व जिला सीकर
03. नरेन्द्रसिंह पुत्र बलबीरसिंह जाति जाट निवासी रामू का बास तहसील व जिला सीकर

– वादीगण

बनाम

01. राजकुमार पुत्र मोहनलाल जाति चेजारा निवासी भगवानदास विवाह स्थल के पास, पालवास रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर
02. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–
श्री सांवरमल चौधरी, एड. वकील वादीगण की ओर से

–:निर्णयः–

दिनांक– 15.10.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 833 रकबा 1.0600 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजी के संबंध में वादीगण के वाद में बंटवारे के अनुतोष को स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के बंटवारा हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 29.09.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू. अ./25/3539 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जावें। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। उपस्थित वकील वादीगण उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमत है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि के बंटवारे की अंतिम डिक्री तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:09:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3539 दिनांक 13.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 833 रकबा 1.0600

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Scanned with OKEN Scanner

हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	नरेन्द्रसिंह पुत्र बलवीरसिंह हि. 1/3 जाति जाट सा. रामू का बास (गोकुलपुरा) सीकर विश्वनाथ शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा हि. 1/3 सा. सीकर शिवशंकर पुत्र रामदेवसिंह हि. 1/3 सा. नेतड़वास सीकर खातेदार	833 मिन	0.8833	बारानी–2
	योग	किता 1	0.8833	–
2	राजकुमार पुत्र मोहनलाल हि. पूर्ण जाति चेजारा सा. पालवास रोड़, सीकर खातेदार	833 मिन	0.1767	बारानी–2
	योग	किता 1	0.1767	–

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3539 दिनांक 13.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.) ★

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

शिवशंकर आदि   बनाम   राजकुमार आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 162 / 2025   निर्णय दिनांक– 15.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री सांवरमल चौधरी, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू —— मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ. / 25 / 3539 दिनांक 13.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 833 रकबा 1.0600 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	नरेन्द्रसिंह पुत्र बलवीरसिंह हि. 1/3 जाति जाट सा. रामू का बास (गोकुलपुरा) सीकर विश्वनाथ शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा हि. 1/3 सा. सीकर शिवशंकर पुत्र रामदेवसिंह हि. 1/3 सा. नेतड़वास सीकर खातेदार	833 मिन	0.8833	बारानी–2
	योग	किता 1	0.8833	–
2	राजकुमार पुत्र मोहनलाल हि. पूर्ण जाति चेजारा सा. पालवास रोड़, सीकर खातेदार	833 मिन	0.1767	बारानी–2
	योग	किता 1	0.1767	–

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ. / 25 / 3539 दिनांक 13.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय / डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों।

यह आज तारीख 15.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(उपखण्ड अधिकारी, न्यायालय धोद, जिला–सीकर (राज.))

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला–सीकर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प [illegible] लिए स्टाम्प [illegible] फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner